

**न्यायालय :-अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना,  
जिला-सतना (म.प्र.)**

क्रमांक-150 / 24

सतना, दिनांक-25.05.2024

**आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 संशोधन आदेश क्रमांक-3**

पूर्व प्रसारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 में संशोधन करते हुये, एतद् द्वारा मैं, अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना (म.प्र.) दं.प्र.सं.-1973 (अधिनियम क्रमांक-2) सन् 1974 की धारा-14(2) एवं 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना-जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य जो आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 की कण्डिका-18 के बाद कण्डिका-18(क) व कण्डिका-18(ख) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

18(क)	श्री वैभव पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद	(1) आरक्षी केन्द्र - सिंहपुर	<b>(A)</b> -आरक्षी केन्द्र सिंहपुर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। <b>(B)</b> -आरक्षी केन्द्र सिंहपुर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) <b>(C)</b> -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
18(ख)	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद	(1) आरक्षी केन्द्र - जसो	<b>(A)</b> -आरक्षी केन्द्र जसो के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। <b>(B)</b> -आरक्षी केन्द्र जसो की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) <b>(C)</b> -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।

2. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 के परिशिष्ट-"अ" की कण्डिका-5 से श्रीमती मीता पवार जंदेल का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर श्रीमती मनीषा जैन तिवारी

को एवं कण्डिका-8 से सुश्री सिखा रघुवंशी को विलोपित कर उनके स्थान पर श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार को प्रतिस्थापित किया जाता है तथा परिशिष्ट-“अ” में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/प्रभार की कण्डिका-14 के बाद कण्डिका-15 व 16 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

15	श्रीमती मनीषा जैन तिवारी	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	श्रीमती शक्ति वर्मा	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल
16	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	श्रीमती मनीषा जैन तिवारी	श्रीमती वंदना मालवीय	श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन

3. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 के परिशिष्ट-“ब” की कण्डिका-5 से आरक्षी केन्द्र सिंहपुर, जसो व नागौद को विलोपित कर कण्डिका-15 व 16 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

15	श्री वैभव पटेल	आरक्षी केन्द्र- जसो व नागौद से उत्पन्न प्रकरणों में।
16	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	आरक्षी केन्द्र- सिंहपुर से उत्पन्न प्रकरणों में।

4. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 के परिशिष्ट-“स” की संशोधित कण्डिका-16 में सुश्री वंदना मालवीय के स्थान पर श्री वैभव पटेल व श्रीमती रेनू यादव के स्थान पर श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार का नाम जोड़ा जाता है, कण्डिका-32 में श्री राहुल सिंह मीना के स्थान पर श्री वैभव पटेल व सुश्री प्राची गुणवान के स्थान पर श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार का नाम जोड़ा जाता है तथा परिशिष्ट - “स” में कण्डिका-32 के बाद कण्डिका-33 व 34 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

33	श्री वैभव पटेल	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	श्रीमती मनीषा जैन तिवारी	श्रीमती मीता पवार जंदेल
34	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	श्रीमती मनीषा जैन तिवारी	श्री वैभव पटेल	श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन

5. कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 के परिशिष्ट-“स” की नोट की कण्डिका-3 में “अनुपस्थिति में” के बाद “तहसील मुख्यालय नागौद में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तहसील मुख्यालय नागौद में कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित न होने पर” जोड़ा जाता है।

अनुमोदित

(अनीता खजूरिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सतना (म.प्र.)  
सतना, दिनांक-25.05.2024

पृष्ठांकन क्रमांक-

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना।
- 2- समस्त ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना/अमरपाटन/चित्रकूट/उचेहरा/मैहर/नागौद/रामपुर बाघेलान/मझगवां।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सतना।
- 4- सिस्टम ऑफीसर, सतना की ओर मेमो की प्रति उपरोक्त वर्णित सभी प्राधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(अनीता खजूरिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सतना (म.प्र.)